

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्रीमती आशा व्यास, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, उठारडा जिला राजसमन्द मे कार्यरत है, जिनकी जन्मतिथि 12.11.1959 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 17.12.1986 है, ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। अतः राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 50(4) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(7)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना में दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्रीमती आशा व्यास, के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/श्रीमती आश व्यास/2018

दिनांक : 25-7-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), राजसमन्द
4. श्रीमती आशा व्यास, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, उठारडा जिला राजसमन्द
5. प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, उठारडा जिला राजसमन्द
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री साकर चन्द लबाना, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बायड़ी-खेरवाड़ा जिला उदयपुर मे कार्यरत है, जिनकी जन्मतिथि 04.09.1960 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 19.11.1983 है, ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। अतः राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 50(4) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(7)एफडी/रुल्स/2006 दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना में दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्री साकर चन्द लबाना, के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/साकरचन्द लबाना/2018

दिनांक : 25-7-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय), उदयपुर
4. श्री साकर चन्द लबाना, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बायड़ी-खेरवाड़ा जिला उदयपुर
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बायड़ी-खेरवाड़ा जिला उदयपुर
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर